

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एनवीबीडीसीपी / 19 / 2019

दिनांक: 28/5/19

विडियो कॉन्फ्रेंस आदेश

विषय— गौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्ययोजना के आमुखीकरण एवं क्रियान्विति के सम्बन्ध में विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक (जन स्वा) की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.19 को DOIT के माध्यम से दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी है, जिसमें राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सको / प्रतिभागियों को गौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का आमुखीकरण कराये जाने हेतु विडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है—

विडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नानुसार अधिकारी/प्रतिभागी भाग लेना सुनिश्चित करें—

राज्य स्तर

क्र.स	पदनाम	वीसी का स्थान
1	अति निदेशक (ग्रा स्वा)	स्वास्थ्य भवन DOIT सेन्टर, ग्राउण्ड प्लोर
2	समस्त निदेशक (मलेरिया)	
3	समस्त निदेशक (आपदा)	
4	एनएनओ (आईडीएसपी) / (एनसीडी)	
5	उप निदेशक (मलेरिया)	

जिला स्तर

क्र स	पदनाम	वीसी का स्थान
1	उप निदेशक (जोन)	जिला DOIT सेन्टर, सबधित जिला
2	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा)	
3	जिला नोडल अधिकारी, एनसीडी	
4	एनयूएचएम प्रबंधक	
5	डिस्ट्रीक्ट आईसी कोर्डिनेटर	
6	प्रभारी एनसीडी क्लिनिक जिला/उप जिला अस्पताल	

ब्लॉक स्तर

क्र स.	पदनाम	वीसी का स्थान
1	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी	खण्ड DOIT सेन्टर, सबधित खण्ड
2	प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
3	प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
4	प्रभारी एनसीडी क्लिनिक/साम स्वा के प्रतिनिधि, एनसीडी	

नोट— निम्नलिखित सूचनाओं के साथ वीसी में उपस्थित होंगे—

- 1 फोगिंग मशीनों की स्थिति, हैचरीज की स्थिति, दवाईयों की स्थिति, पल्स ऑक्समीटर, क्लोरोस्कोप की सूचना, मलेरिया डेगू चिकनगुनिया के पॉजीटिव केसों की एक्टिविटी की रिपोर्ट, एनयूएचएम, एमएमवी के कंथ प्लान की सूचना।

अति निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:.....

क्रमांक एनवीबीडीसीपी / 19 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
- 3 निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 4 राज्य नोडल अधिकारी, एनसीडी, मुख्यालय।
- 5 समस्त राज्यतः निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- 6 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 7 समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.)।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम वारंटो विडियो कॉन्फ्रेंस करवाने की आवश्यक व्यवस्था व ईमेल करवाने एवं वेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु।
- 9 केयरटेकर स्वास्थ्य भवन मुख्यालय गेजकर लेख है कि विडियो कॉन्फ्रेंस हेतु आवश्यक व्यवस्था करवाये।
- 10 रक्षित पत्रावली।

अति निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर